FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/05/2023 17:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2023 **Time (समय):** 17:09 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/05/2023 17:09 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 6 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): हुड्डा ओफिस फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP RAKESH Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 08/05/1983 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9289893672

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	प्रदीप कुमार तत्कालीन कनिष्ट		Father's Name: स्वं0 श्री रावतराम	1. कार्यालयउपमण्डलअभियन्ताफरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	राम किसन तत्कालीन उप मण्डल		Father's Name: श्री घासीराम	1. म0नं0 84ब्लाक-बी सैक्टर-11फरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	राजेश ठाकुर		Father's Name: श्री शारदा नन्दन ठाकुर	1. म0नं0 84,सैक्टर-21बीफरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
4	सुरेश बंसल टीपू			1. म0नं0 344,सैक्टर-9,फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

फरीदाबाद ।

श्रीमान जी,

जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक न0 43/21/2018-5 चौकसी -1 दिनांक 16.05.2019 की अनुपालना मे कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) पचंकूला के पृष्ठांन 11027/1-2/SVB(H) Date 19.07.2021 अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतू राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद में प्राप्त हुई, जिसमें श्री सहीराम, श्री धर्मपाल पुत्रान श्री चतरू तथा श्री राजकुमार व श्री राजेन्द्र निवासीगण गांव अनंगपुर, जिला फरीदाबाद की शिकायत व निरीक्षक ईश्वर सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद की तस्दीक रिपोर्ट में लगाये गए निम्नलिखित आरोपो की पडताल की जानी थी:-

आरोप नं0 1:-

परिवादीगण की गांव अनंगपुर मे दादालाई जमीन है। जिसकी जमाबन्दी की रुह से मालिक काबिज हैं। आबकारी विभाग फरीदाबाद ने भी मिलीभगत करके परिवादीगण की जमीन पर शराब का ठेका खुलवा दिया है व नगर निगम फरीदाबाद के भ्रष्ट अधिकारियो ने निगम की हाउस टैक्स की फर्जी रसीदे बना दी है जिसकी रसीद न0 177845 दिनांक 15.01.2019 व रसीद न0 191527 दिनांक 14.02.2019 हैं ।

आरोप नं0 2:-

प्लाट न0 3 सैक्टर 27 डी, ओद्यौगिक क्षेत्र फरीदाबाद को कार्यालय Estate officer फरीदाबाद के मिमो न0 2348/AUE Faridabad date 12.01.1976 के अनुसार M/s victor Industries 1414, chobe ganj kashmiri Gate Delhi-6 को अलाट किया गया था। M/s victor Industries हुडा विभाग फरीदाबाद मे बकाया रकम 29,11,755/- रुपये जमा ना कराने पर उक्त प्लाट को सम्पदा अधिकारी फरीदाबाद द्वारा Resume कर लिया गया। उसके बाद M/s victor Industries द्वारा आदेश के विरुद्व Financial commissioner principal secretary to Govt. Haryana, town and country planning department Chandigarh के सम्मुख अपील दायर की थी जो दिनांक 07.10.2014 को Dismiss हो गई थी। परन्तु सर्वे विभाग हुडा द्वारा इस प्लाट पर कब्जा नही लिया गया। इसके अलावा नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद द्वारा हाउस टैक्स वगैरा की रकम 31 लाख रुपये दिनांक 15.01.2019 व 14.02.2019 को इस प्लाट पर कब्जाधारी राजेश ठाकुर व सुरेश बंसल से उनके बैंक के खातो के चैक द्वारा रकम बिना अधिकार के जमा कर ली ताकि सुरेश बंसल व राजेश ठाकुर वगैरा इस विषयांकित प्लाट के मालिक बन सके। इसके साथ-2 आबकारी व कराधान विभाग फरीदाबाद द्वारा भी विषयांकित प्लाट पर बार-2 शराब का ठेका खोलने की इजाजत दी गई। जबकि हुडा विभाग के तथ्यो के आधार पर विषयांकित प्लाट न0 3, सैक्टर 27 डी, औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद का है। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्लाट को अवैध शराब का ठेका, आहाता वगैरा चलाये जाने के लिए किराये पर दिया जा रहा है। जिससे यह सम्भव है कि हुडा विभाग, नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद व आबकारी एवं कराधान विभाग फरीदाबाद के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा प्रतिवादीगण राजेश ठाकुर, सुरेश बंसल व ओमप्रकाश बैंसला वगैरा से मिलीभगत करके हरियाणा सरकार व हुडा विभाग को करोडो रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाई जा चुकी है और अब भी सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई जा रही है ।

जांच के दौरान आरोप नं0 2 के सम्बन्ध निष्कर्ष पर पाया गया है कि गांव अनंगपुर जिला फरीदाबाद की भूमि खसरा नं0 1499/2, 1500/2, 1501 मिन, 1502 मिन को सरकारी अधिसूचना अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही के तहत दिनांक 07.10.1971 को नोटिस सैक्शन-4, दिनांक 08.03.1972 को सैक्शन-6 जारी करते हुये दिनांक 14.06.1972 को अवार्ड करके दिनांक 15.06.1972 को भूमि पर कब्जा लिया जाना पाया गया। जिसके पश्चात हुड्डा विभाग द्वारा उपरोक्त अधिग्रहित भूमि पर प्लाट आवंटन किये जाने पाये गये, जिसपर कार्यालय सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 2348 दिनांक 12.01.1976 अनुसार मैसर्ज विक्टर इण्डस्ट्रीज, 1414, छबीगंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली को प्लाट नं0 3, सैक्टर-27डी, फरीदाबाद अलाट

किया जाना पाया गया, बाद में अलाटी द्वारा पूरा पैसा जुर्माना सहित जमा ना कराने व तय सीमा में प्लाट पर पूर्ण निर्माण ना करने पर कार्यालय सम्पदा अधिकारी हुड्डा फरीदाबाद द्वारा प्लाट अलाटी को समय-समय पर नोटिस दिये जाने पाये गये तथा पत्र क्रमांक 36561 दिनांक 04.07.2003 अनुसार उपरोक्त प्लाट को resumed करने के आदेश दिये जाने पाये गये तथा पत्र क्रमांक 2992-93 दिनांक 22.01.2004 अनुसार अलाटी को प्लाट खाली करने के आदेश दिये जाने पाये गये। जिस पर प्लाट अलाटी द्वारा उपरोक्त आदेश के खिलाफ श्री जे0एस0 अहलावत, भा0प्र0से0, प्रशासक हुड्डा फरीदाबाद को अपील नं0 1370 दिनांक 04.03.2004 अनुसार अपील की जानी पाई गई, जिसको प्रशासक हुड्डा फरीदाबाद द्वारा दिनांक 30.10.2007 को खारिज किया जाना पाया गया। फिर इस आदेश के खिलाफ अलाटी द्वारा दिनांक 19.12.2007 को एक अपील प्रधान सचिव, हरियाणा, टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग और अर्बन एस्टेट डिपार्टमैन्ट चण्डीगढ की जानी पाई गई, जोकि माननीय प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 12.08.2014 को अपील खारिज की जानी पाई गई तथा प्लाट के अलाटी को उसकी देय राशी नियमानुसार वापिस करने उपरान्त फैसला की प्रति प्राप्त होने उपरान्त उक्त प्लाट को 30 दिन के अन्दर-अन्दर कब्जा लेने के आदेश पारित किये जाने पाये गये। उक्त आदेशो बारे दोबारा विचार करने हेतू प्लाट अलाटी द्वारा एक दरखास्त दिनांक 04.09.2015 को माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग और अर्बन एस्टेट डिपार्टमैन्ट चण्डीगढ को दी जानी पाई गई, जिस पर माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पत्र दिनांक 28.09.2015 अनुसार दरखास्त अपील योग्य ना होने बारे आदेश दिये जाने पाये गये।

पडताल पर उपरोक्त आदेश कार्यालय सम्पदा अधिकारी, हुड्डा विभाग, फरीदाबाद में तत्कालीन श्री जय सिंह कर्लक द्वारा दिनांक 22.10.2014 को प्राप्त होने पर दिनांक 04.11.2014 को श्री सतपाल, ह0प्र0से0, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी हुड्डा फरीदाबाद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पाये गये, जिन पर तत्कालीन सम्पदा अधिकारी द्वारा उक्त प्लाट की नोटिंग फाईल पर आवष्यक निर्देष देते हुये प्लाट अलाटी को देय राषि बिना समय खराब किये वापिस करने व उप मण्डल अभियन्ता सर्वे को प्लाट पर कब्जा लेने के लिये लिखने बारे आदेश दिये जाने पाये गये और उपरोक्त कार्य (urgent) आधार पर करने बारे निर्देशित किया जाना पाया गया। आदेश की प्रति कार्यालय सम्पदा अधिकारी के पृ0क्र0 क्रमांक 23374-75 दिनांक 10.11.2014 अनुसार लेखाशांखा व उप मण्डल अभियन्ता सर्वे ब्रांच को भेजी जानी पाई, जिसमें सर्वे ब्रांच को कब्जा लेने बारे स्पष्ट आदेश दिया जाना पाया गया तथा उपरोक्त आदेशो की प्रति मेल के माध्यम से भी प्राप्त हुई, जिसमें भी तत्कालीन सम्पदा अधिकारी श्री सतपाल द्वारा दिनांक 17.11.2014 को कब्जा लेने व बकाया राशि नियमानुसार देने बारे उप अधीक्षक कार्यालय सम्पदा अधिकारी व सहायक कार्यालय सम्पदा अधिकारी को आदेश दिये जाने पाये गये और उपरोक्त कार्य (urgent) आधार पर करने बारे निर्देशित किया जाना पाया गया। जिस पर लेखाशाखा द्वारा दिनांक 12.12.2014 को अलाटी की देय राशि बकाया ना होने बारे रिपोर्ट की जानी पाई गई। कार्यालय उप अधीक्षक द्वारा उप मण्डल अभियन्ता सर्वे को पुनः उपरोक्त पत्र पृ0क्र0 क्रमांक 23374-75 दिनांक 10.11.2014 के अनुसार कार्यवाही करने बारे लिखे जाने के सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2014 को सर्वे ब्रांच को कब्जा वापिस लेने के लिये पुनः आदेश दिये जाने पाये गये। सर्वे बांच द्वारा दिनांक 12.01.2015 को इस प्लाट के अलाटी को प्लाट खाली करने का नोटिस जारी करने बारे रिपेार्ट दी जानी पाई गई। जिस पर कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सम्पदा अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 107-8 दिनांक 28.10.2015 अनुसार अलाटी को प्लाट खाली करने का आदेश जारी किया जाना पाया गया। आदेश पर कार्यवाही के लिये सर्वे ब्रांच को दिनांक 20.04.2016 को प्लाट पर कब्जा लेने के लिये फाईल भेजी जानी पाई गई। जिस पर सर्वे ब्रांच में तैनात तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता सर्वे श्री बीर सिंह द्वारा सम्बन्धित ऐरिया के जेई श्री प्रदीप कुमार को स्थल का निरीक्षण करने बारे रिपोर्ट की जानी पाई गई, जो दिनांक 03.05.2016 को तत्कालीन जेई प्रदीप कुमार द्वारा रिपोर्ट दी गई कि स्थल का निरीक्षण करने पर स्थल के मुख्य द्वार पर एम0सी0एफ0 की पहले ही सील लगी हुई है। इसके पश्चात सर्वे ब्रांच द्वारा फाईल आगामी कार्यवाही के लिये कार्यालय सम्पदा अधिकारी में भेजी जानी पाई गई, जिस पर दिनांक 13.05.2016 को कार्यालय सम्पदा अधिकारी द्वारा माननीय एफ0सी0टी0सी0पी0 हरियाणा के आदेश की पालना अनुसार पुनः एस0डी0ई0 सर्वे को कब्जा लेने बारे रिपोर्ट करके फाईल सर्वे ब्रांच में भेजी जानी पाई गई। सर्वे ब्रांच में तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता श्री बीर सिंह व तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार द्वारा दिनांक 29.05.2016 को अपनी दिनांक 03.05.2016 को पहले ही दी हुई रिपोर्ट को दोहराया गया और लिखा कि इस प्लाट पर एम0सी0एफ0 की सील लगी हुई तथा कब्जा एम0सी0एफ0 के पास है, अतः एम0सी0एफ0 को लिखा जाना उचित होगा तथा उसके पष्चात ही कार्यालय द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। इसके पश्चात दिनांक 23.08.2016 को फाईल वापिस सर्वे ब्रांच से कार्यालय सम्पदा अधिकारी में भेजी जानी पाई गई। जिस पर कार्यालय सम्पदा अधिकारी हुड्डा फरीदाबाद के पत्र क्रमांक 11565-66 दिनांक 24.07.2018 अनुसार संयुक्त

आयुक्त, नगर निगम, ओल्ड फरीदाबाद को सील बारे स्थिति स्पष्ट करने तथा सील हटाकर सम्पदा कार्यालय को सूचित करने बारे लिखकर फाईल को रिकार्ड रूम में भेजा जाना पाया गया। इसके पश्चात हुड्डा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जानी नही पाई गई।

सरकार के आदेशानुसार उक्त प्लाट औधोगिक क्षेत्र में आने पर हुड्डा विभाग फरीदाबाद द्वारा इसकी सम्बन्धित फाईल कार्यालय एच0एस0आई0आई0डी0सी0 फरीदाबाद कों दिनांक 11.04.2019 को भेजी जानी पाई गई। कार्यालय सम्पदा प्रबन्धक, एच0एस0आई0आई0डी0सी0 फरीदाबाद द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद से उपरोक्त प्लाट का फिजीकल पोजेशन व राजस्व रिकार्ड उपलब्ध ना करवाने के कारण प्लाट पर अभी तक कब्जा कार्यवाही की जानी नही पाई गई। जिस सम्बन्ध में कार्यालय सम्पदा प्रबन्धक, एच0एस0आई0आई0डी0सी0 फरीदाबाद द्वारा कार्यालय हुड्डा विभाग फरीदाबाद को कई बार पत्राचार किया जाना पाया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विवादित प्लाट की नगर निगम फरीदाबाद द्वारा काटी गई टैक्स रसीद व कार्यवाही बारे व उक्त विवादित प्लाट पर आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब का ठेका चलाये जाने के सम्बन्ध में पहले ही निष्कर्ष आरोप नं0 1 में लिखा जा चुका है। पडताल पर नगर निगम फरीदाबाद व आबकारी विभाग फरीदाबाद की कोई अनियमितता सामने नही आई।

पडताल पर कार्यालय उप आबकारी व कराधान आयुक्त (आबकारी) फरीदाबाद से प्राप्त रिकार्ड व जांच में शामिलान के कथनों अनुसार उक्त विवादित प्लाट पर काफी वर्षों से शराब का ठेका/आहता चलाया जाना पाया गया है। जिस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण श्री राजेश ठाकुर पुत्र श्री शारदा नन्दन ठाकुर निवासी म0नं0 2273, सैक्टर-9, फरीदाबाद व श्री सुरेश बंसल (टीपू) निवासी म0नं0 344, सैक्टर-9, फरीदाबाद द्वारा उक्त प्लाट के मालिक श्री राज शर्मा के साथ संयुक्त कारोबार करने, प्लाट मालिक द्वारा प्लाट को प्रतिवादीगण को इस्तेमाल के लिये दिये जाने पर उक्त प्लाट के कुछ हिस्से पर अस्थाई टीन सैड आदि डालकर काफी वर्षों से शराब का ठेका/आहता चलाने बारे तहरीर किया गया। वर्ष 2018-19 में प्रतिवादी श्री ओम प्रकाश पुत्र स्वं0 श्री देशराज निवासी अनंगपुर डेरी, नजदीक सैक्टर-37, फरीदाबाद द्वारा भी उक्त प्लाट पर शराब का ठेका/आहता प्रतिवादी श्री राजेष ठाकुर व श्री सुरेश बंसल से किराये पर लेकर चलाया जाना पाया गया। इसी दौरान वर्ष 2018 परिवादीगण श्री राजकुमार वगैरा द्वारा उक्त प्लाट पर कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण श्री राजेश ठाकुर व श्री सुरेश बंसल तथा श्री ओमप्रकाश उपरोक्त के खिलाफ एक सीविल सूट नं0 238/2019 माननीय न्यायालय श्रीमती आकृति वर्मा सीविल जज फरीदाबाद में दाखिल किया जाना पाया गया, जो अभी विचाराधीन न्यायालय है। जिसमें आगामी तारिख 07.12.2022 लगी हुई है। जबकि उक्त प्लाट पर परिवादीगण राजकुमार वगैरा व प्रतिवादीगण राजेश ठाकुर व सुरेश बंसल आदि का कानूनन कोई मालिकाना हक नही है ।

पडताल पर उपरोक्त विवादित प्लाट 03, सैक्टर-27डी, फरीदाबाद पर प्लाट अलाटी मैसर्ज विक्टर इन्डस्ट्रीज दिल्ली द्वारा अधूरा निर्माण करने व तय सीमा के अन्दर देय राशि जमा ना करने पर वर्ष 1977 से ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद व प्लाट अलाटी का विवाद चला आ रहा है, यह एक औधोगिक प्लाट है, परन्तु इस पर कभी भी औधोगिक इकाई चलनी नही पाई गई, बल्कि काफी वर्षो से उक्त प्लाट के आगे खाली पडे हिस्से पर शराब ठेकेदारों द्वारा शराब का ठेका/आहता चलाया जाना पाया गया है। पडताल पर उक्त प्लाट पर चल रहे शराब के ठेके को हटाने बारे हुड्डा विभाग फरीदाबाद द्वारा कोई नोटिस या अन्य कार्यवाही की जानी नही पाई गई और ना ही प्लाट अलाटी द्वारा हुड्डा विभाग या अन्य किसी को शराब के ठेके बारे कोई आपति जाहिर की जानी पाई गई। बल्कि उक्त विवादित प्लाट का वर्ष 1976 से अब तक का प्रोपर्टी टैक्स जोकि प्लाट अलाटी/हुड्डा विभाग द्वारा देय किया जाना था, वह सारा प्रोपर्टी टैक्स प्रतिवादीगण राजेश ठाकुर व सुरेश बंसल द्वारा प्लाट अलाटी मैसर्ज विक्टर इण्डस्ट्रीज के नाम से ही देय किया जाना पाया गया है, प्रोपर्टी टैक्स की रसीद अपने नाम से या फर्जी कटवाई जानी नही पाई गई। जांच के दौरान कार्यालय एच0एस0आई0आई0डी0सी0 फरीदाबाद से विवादित प्लाट पर चल रहे शराब ठेका/आहता को हटाकर कब्जा लेने व इस शराब ठेका/आहता से विभाग को पहुचे आर्थिक नुकसान बारे रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर विवादित प्लाट पर हुड्डा विभाग द्वारा फिजीकल पोजेशन लेकर एच0एस0आई0आई0डी0सी0 विभाग को नही दिया जाना पाया गया। जिस पर कार्यालय सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो रिपोर्ट अनुसार सर्वे ब्रांच हुडडा के तत्कालीन जेई व एस0डी0ओ0 द्वारा प्लाट कब्जा कार्यवाही में लापरवाही बरती जानी पाई गई तथा नियमानुसार हुडडा के व्यवसायिक प्लाट को किसी शराब ठेका/आहता को किराये पर नही दिये जाने के कारण इस प्लाट पर हुडडा विभाग को कोई वितिय हानि हुई है या नही का आंकलन करने में असमर्थता बारे रिपोर्ट दी गई । जांच के दौरान प्लाट अलाटी मैसर्ज विक्टर इन्डस्ट्रीज, 1414 छबीगंज कशमीरी गेट, दिल्ली के पते पर जाकर पूछताछ की

गई, जो उपरोक्त पते पर मैसर्ज विक्टर इन्डस्ट्रीज का कार्यालय काफी वर्षो पहले ही बंद किया जाना पाया गया तथा श्री राज शर्मा की मृत्यु होनी बतलाई गई । जिस बारे काफी पताजोही करने पर स्वं0 श्री राज शर्मा के पुत्र श्री संदीप शर्मा निवासी म0नं0 एफ-3/25, माडल टाऊन दिल्ली का पता चला, जिसको स्वं0 श्री राज शर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र सहित जांच में शामिल होने बारे कई बार सुचना पत्र भेजे गये, परन्तु उपरोक्त श्री संदीप शर्मा शामिल जांच नही हुये और ना ही अपने पिताजी स्वं0 श्री राज शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया।

जांच के दौरान अंकित किये गये कथनो व हासिल किये गए प्रलेखो तथा की गई पडताल से कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद की सर्वे शांखा में तैनात तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार द्वारा कब्जा कार्यवाही के आदेष पर विवादित प्लाट के मुख्य द्वार पर नगर निगम विभाग फरीदाबाद द्वारा सील लगाने बारे गलत रिपोर्ट दिनांक 03.05.2016 व दिनांक 29.05.2016 को प्रस्तुत की जानी पाई गई, जबकि उक्त प्लाट के आगे वाले हिस्से पर शराब का ठेका/आहता चल रहा है, जिस बारे श्री प्रदीप कुमार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई जिक्र नही किया गया और तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता (सर्वे) श्री राम किसन द्वारा भी सम्पदा अधिकारी के आदेषों को गंभीरता से नही लिया गया और उक्त कनिश्ठ अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार की रिपोर्ट पर अपने आप बिना स्थल निरीक्षण के हस्ताक्षर किये जाने पाये गये। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रदीप कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता व राम किसन, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता(सर्वे) द्वारा प्लाट पर कब्जा ना लेकर गलत रिपोर्ट देकर विवादित प्लाट पर चल रहे शराब ठेका/आहता मालिको राजेश ठाकुर व सुरेश बंसल (टीपू) से मिलीभगत करके इनको अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। जिस पर जांच अधिकारी निरीक्षक राकेश कुमार द्वारा (1) प्रदीप कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय उप मण्डल अभियन्ता(सर्वे), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद पुत्र स्वं0 श्री रावतराम निवासी म0नं0 245, सैक्टर-5, गुरूग्राम हाल वानप्रस्थ आश्रम, ऋशिकेश, उतराखण्ड, (2) राम किसन, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता(सर्वे) फरीदाबाद हाल सेवानिवृत पुत्र स्वं0 श्री घासीराम निवासी म0नं0 84, ब्लाक-बी, सैक्टर-11, फरीदाबाद, (3) राजेश ठाकुर पुत्र श्री शारदा नन्दन ठाकुर निवासी म0नं0 2273, सैक्टर-9, फरीदाबाद हाल म0नं0 84, सैक्टर-21बी, फरीदाबाद व (4) सुरेश बंसल (टीपू) निवासी म0नं0 344, सैक्टर-9, फरीदाबाद के विरूद्ध धारा 13(1)(डी) r/w 13(2) भ्रश्टाचार अधिनियम व धारा 218, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने तथा अनुसंधान के दौरान इनके अतिरिक्त अन्य किसी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लेने तथा विवादित प्लाट के अलाटी स्वं0 श्री राज शर्मा का उनके वारसान से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके उनके द्वारा की गई विभागीय अपीलों के समय वह जीवित थे भी या नही को भी देख लेने का सुझाव दिया गया था।

जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/75/2019-2VII दिनांक 20.04.2023, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृश्ठांकन क्रमांक 7501/आई-2/एस0वी0बी0(ह0) दिनांक 02.05.2023 के अनुसार जांच रिपोर्ट में आरोप नं0 2 में दिये गये सुझाव अनुसार उपरोक्त आरोपियान (1) प्रदीप कुमार, तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता कार्यालय उप मण्डल अभियन्ता(सर्वे), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद पुत्र स्वं0 श्री रावतराम निवासी म0नं0 245, सैक्टर-5, गुरूग्राम हाल वानप्रस्थ आश्रम, ऋशिकेश, उताराखण्ड, (2) राम किसन, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता(सर्वे) फरीदाबाद हाल सेवानिवृत पुत्र स्वं0 श्री घासीराम निवासी म0नं0 84, ब्लाक-बी, सैक्टर-11, फरीदाबाद, (3) राजेश ठाकुर पुत्र श्री शारदा नन्दन ठाकुर निवासी म0नं0 2273, सैक्टर-9, फरीदाबाद हाल म0नं0 84, सैक्टर-21बी, फरीदाबाद व (4) सुरेश बंसल (टीपू) निवासी म0नं0 344, सैक्टर-9, फरीदाबाद के विरूद्ध धारा 13(1)(डी) r/w 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम व धारा 218, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग दर्ज किया जावे तथा अनुसंधान के दौरान इनके अतिरिक्त अन्य किसी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लेने तथा विवादित प्लाट के अलाटी स्वं0 श्री राज शर्मा का उनके वारसान से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके उनके द्वारा की गई विभागीय अपीलों के समय वह जीवित थे भी या नही को भी देख लेने बारे तहरीर अभियोग दर्ज करने के लिये सिपाही प्रीतम नं0 2076/फरीदाबाद के माध्यम से थाना में भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके अभियोग नम्बर ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अभियोग आगामी अनुसंधान हेतू श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद के आदेशानुसार निरीक्षक विजेन्द्र सिंह, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद को भिजवाया जावे । सम्बन्धित रिकार्ड साथ सलंग्न है । स्थान:- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद SD. Rakesh kumar राकेश कुमार, निरीक्षक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद दिनांक 09.05.2023 At. 4.30 PM अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नम्बर- 11 दिनांक 09.05.2023 U/S 13(1)डी) r/w 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम व धारा 218,120बी IPC PS ACB

फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल सि0 प्रतीम न0 2076/फरीदाबाद के की जाकर ईलाका मजिस्ट्रैट वा सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आईन्दा सि0 के की जाकर निज्द INSP बिजेनद्र सिह के हवाले की जायेगी । नोट:- यह मुकदमा INSP बिजेनद्र सिह की हाजरी में दर्ज किया जा रहा है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VIJENDER SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1666FBD **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Anil Kumar

Rank (पद): Asst. Superitendant of Police

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.